

1. नाम आवेदक .....
2. पिता का नाम .....
3. वर्तमान पता .....
- पुलिस स्टेशन का नाम
4. स्थाई पता .....
- पुलिस स्टेशन का नाम
5. शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या .....
- तथा जारी होने वाले जिले का नाम
6. अनुज्ञा पत्र का क्षेत्र .....
7. दर्ज शस्त्रों की किस्म एवं नम्बर .....
8. अनुज्ञा पत्र की वैधता अवधि .....
9. दोहरी प्रति प्राप्त करने का कारण .....
10. प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण मय थाने .....
- का नाम व दिनांक (प्रति संलग्न है)

हस्ताक्षर आवेदक

**कार्यालय कार्यवाही**

अनुज्ञा पत्र इस कार्यालय से जारी है तथा क्षेत्र राजस्थान मान्य है अतः निर्धारित शुल्क रूपये 100/- जमा कराया जाकर अनुज्ञा पत्र की दोहरी प्रति जारी की जावे।

अथवा

अनुज्ञा पत्र इस जिले से जारी नहीं है अतः दोहरी प्रति जारी किया जाना सम्भव नहीं है। जिस जिले से अनुज्ञा पत्र जारी है वहां के अनुज्ञापत्र अधिकारी से सम्पर्क करने हेतु आवेदक को सूचित करना उचित होगा।

अथवा

अनुज्ञा पत्र इस जिले से जारी है लेकिन इसका क्षेत्र समस्त भारत है अतः अनुज्ञा पत्र की दोहरी प्रति जारी करने की स्वीकृति हेतु गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर को अनुशंषा हेतु भिजवाना उचित होगा।

शाखा लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी

कैशियर निर्धारित शुल्क रूपये 100/- जमा करें।	राशि रूपये 100/- रसीद संख्या .....
	दिनांक .....से जमा हो चुकी है।
हस्ताक्षर लिपिक	हस्ताक्षर कैशियर

दोहरी प्रति तैयार की जाकर हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत है।

शाखा लिपिक

शाखा प्रभारी

प्रभारी अधिकारी